



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 741]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 24, 2019/पौष 3, 1941

No. 741]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 24, 2019/PAUSHA 3, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2019

सं. 06/2019—संघ राज्य क्षेत्र कर

सा.का.नि. 948(अ).—केंद्रीय सरकार, संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 15, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 96 तथा माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 103 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र में तारीख 8 अक्टूबर, 2018 की सा.का.नि. संख्या 1004(अ) द्वारा प्रकाशित राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 14/2018-संघ राज्य क्षेत्र कर में आगे और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम सं. 3 और 4, स्तम्भ (3) में मद (i) के लिए निम्नलिखित मद को रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(i) श्री विष्णु वी पंडित, अपर आयुक्त, केंद्रीय माल और सेवा कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, वडोदरा क्षेत्र;"

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. एस. 31011/21/2016-एसटी-I-डीओरआर-भाग-1]

सुनील कुमार, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना, क्रमशः भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 1004(अ), तारीख 8 अक्टूबर, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी और पश्चातवर्ती अधिसूचना सं. 03/2019 संघ राज्य क्षेत्र कर, तारीख 16 मई, 2019 के द्वारा संशोधित, सा.का.नि. सं. 366(अ), तारीख 16 मई, 2019 के द्वारा प्रकाशित और अधिसूचना सं. 05/2019-संघ राज्य क्षेत्र, तारीख 14 अक्टूबर, 2019 के द्वारा संशोधित, सा.का.नि. सं. 781(अ), तारीख 14 अक्टूबर, 2019 के द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th December, 2019

No. 06/2019-Union territory Tax

G.S.R. 948(E).—In exercise of the powers conferred by section 15 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), section 96 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) and rule 103 of the Goods and Services Tax Rules, 2017, the Central Government, hereby, makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance, Department of Revenue No. 14/2018-Union territory Tax, published in the Gazette of India, Extraordinary vide number G.S.R. 1004(E), dated the 8th October 2018, namely:—

In the said notification, in the Table, against Sl. No. 3 and 4, in column (3), for item (i), the following item shall be substituted, namely:—

“(i) Shri Vishnu V Pandit, Additional Commissioner, Central Goods and Services Tax & Central Excise, Vadodara Zone;”.

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. S. 31011/21/2016-ST-I-DoR-Pt.1]

SUNIL KUMAR, Under Secy.

Note : The principal notification was published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1004(E), dated the 8th October, 2018 and subsequently amended *vide* notification No. 03/2019-Union Territory Tax, dated the 16th May, 2019, published *vide* number G.S.R. 366(E), dated the 16th May, 2019 and *vide* notification No. 05/2019-Union territory Tax, dated the 14th October, 2019, published *vide* number G.S.R. 781(E), dated the 14th October, 2019 respectively.